बिहार सरकार
गृह विभाग
विज्ञप्ति
बिहार राज्य के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना सं0 **373**, दिनांक-**24.07.2012** में अंकित निदेश के आलोक में एतद् द्वारा बिहार राज्य के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि सभी प्रकार की शस्त्र अनुज्ञप्तियों का database तैयार किया जाना है। इसके लिए सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को विहित प्रपत्र में सूचना संबंधित जिला के जिला शस्त्र शाखा में जमा करना है, जिसकी प्रविष्टि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा विकसित की गई इलेक्ट्रोनिक स्वचालित प्रणाली में की जायेगी। अनुज्ञप्ति से संबंधित सभी सूचना प्रविष्टि के पश्चात् उक्त इलेक्ट्रोनिक स्वचालित प्रणाली एक विशिष्ट संख्या (UIN) सृजित करेगी जिसे जिला में संधारित शस्त्र पंजी में उस अनुज्ञप्ति के लिए संधारित पृष्ठ पर दर्ज किया जायेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति पर भी इसकी प्रविष्टि की जायेगी। 01.10.2015 तक जिस अनुज्ञप्ति के लिए यह विशिष्ट नं0 सृजित होकर उनके अनुज्ञप्ति पर प्रविष्टि नहीं होगा वह अनुज्ञप्ति अवैध माना जायेगा।

अनुज्ञप्तिधारियों का database तैयार करने हेतु संबंधित सॉफ्टवेयर से चार तरह के विहित प्रपत्र तैयार किये गये हैं, जिसे सभी जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है । यह प्रपत्र जिलों के website पर भी उपलब्ध हैं । साथ ही इस प्रपत्र को गृह विभाग के website (http://home.bih.nic.in) से भी download किया जा सकता है। ये प्रपत्र निम्न प्रकार के है:-

प्रपत्र-1-सम्बन्धित जिला से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए ।

प्रपत्र-2-सम्बन्धित जिला से बाहर का निर्गत अनुज्ञप्ति जिसकी प्रविष्टि उस जिला के OD पंजी में है, के लिए।

प्रपत्र-3-सम्बन्धित जिला से Sports Weapon के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

प्रपत्र-4-सम्बन्धित जिला से संस्थान के नाम से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

सभी अनुज्ञप्तिधारियों को निदेश दिया जाता है कि सभी सूचनाएँ विहित प्रपत्र में पूर्ण एवं शुद्ध रूप से दिनांक 20 अगस्त 2014 तक निश्चित रूप से भरकर सम्बन्धित जिला के जिला शस्त्र शाखा में जमा कर पावती रसीद प्राप्त कर ले। विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ फैक्स/ई-मेल/डाक से स्वीकार्य नहीं होगी बल्कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि से व्यक्तिगत रूप में ही प्राप्त की जाएगी । विहित प्रपत्र के साथ शस्त्र अनुज्ञप्ति की छाया प्रति एवं अनुज्ञप्तिधारी का एक अद्यतन फोटो भी संलग्न करना होगा । निर्धारित तिथि तक विहित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उनके अनुज्ञप्ति को निलम्बित/रद्द कर दी जा सकती है तथा इसकी पूर्ण जबाबदेही अनुज्ञप्तिधारियों की होगी।

संयुक्त सचिव
गृह (आरक्षी) विभाग,
बिहार, पटना।